A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

(श्री ब्रजेश कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 23 / 2023

निर्णय दिनांकः– 17.01.2023

उनवान

श्योजी पुत्र रामकिशोर जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री स्वयं प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 38 कुल ख0न0 12 कुल रकबा 8.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा ,खाता संख्या 18 कुल ख0न0 14 कुल रकबा 12.84 है0 वाके ग्राम रामगंज तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम श्योजी पुत्र रामकिशोर है। प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि मे अंकित है। तथा जमाबन्दी खाता संख्या 69 वाके ग्राम रामगंज में भी यही नाम है। किन्तु जमाबन्दी खाता संख्या 18, 38 में सहवन से श्योजी लाल पुत्र रामकिशोर दर्ज कर दिया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रार्थी की यह अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 38 कुल ख0न0 12 कुल रकबा 8.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा ,खाता संख्या 18 कुल ख0न0 14 कुल रकबा 12.84 है0 वाके ग्राम रामगंज तहसील उनियारा जिला टोंक मे प्रार्थी का **श्योजीलाल पुत्र रामकिशोर के स्थान पर श्योजी पुत्र रामकिशोर** अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

s.136.332

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला टोंक

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 38 कुल ख0न0 12 कुल रकबा 8.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा ,खाता संख्या 18 कुल ख0न0 14 कुल रकबा 12.84 है0 वाके ग्राम रामगंज तहसील उनियारा जिला टोंक में श्योजीलाल पुत्र रामकिशोर के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मोतबिरानों अनुसार प्रार्थी का नाम श्योजीलाल एवं श्योजी एक ही व्यक्ति है। इस नाम के अलग–अलग व्यक्ति ग्राम में नही है। तहसीलदार उनियारा की अभिशंषा अनुसार राजस्व रिकार्ड में **श्योजीलाल पुत्र रामकिशोर के स्थान पर श्योजी पुत्र रामकिशोर** किया जाना उचित है।

प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या 38 कुल ख0न0 12 कुल रकबा 8.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा ,खाता संख्या 18 कुल ख0न0 14 कुल रकबा 12.84 है0 वाके ग्राम रामगंज तहसील उनियारा जिला टोंक में श्योजीलाल पुत्र रामकिशोर के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मोतबिरानों अनुसार प्रार्थी का नाम श्योजीलाल एवं श्योजी एक ही व्यक्ति है। इस नाम के अलग–अलग व्यक्ति ग्राम में नही है। जमाबन्दी खाता संख्या 69 वाके ग्राम रामगंज में भी यही नाम है। तहसीलदार उनियारा की अभिशंषा अनुसार राजस्व रिकार्ड में **श्योजीलाल पुत्र रामकिशोर के स्थान पर श्योजी पुत्र रामकिशोर** किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र(धारा 136) को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह आराजी सम्वत 2072–74 खाता संख्या 38 कुल ख0न0 12 कुल रकबा 8.07 है0 वाके ग्राम विजयपुरा , सम्वत 2071–74 खाता संख्या 18 कुल ख0न0 14 कुल रकबा 12.84 है0 वाके ग्राम रामगंज तहसील उनियारा जिला टोंक टोंक में दर्ज नाम **श्योजीलाल पुत्र रामकिशोर के स्थान पर श्योजी पुत्र रामकिशोर** दर्ज करं राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति, को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला टोंक

ब्रजेश कुमार
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

s.136.333